P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

लघु बचत संग्रहण के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना का एक सवेक्षण

विजय कुमार गुप्ता
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज,
शाहजहाँपुर

सारांश

समूह बीमा' परम्परागत सामान्य जीवन बीमा का ही एक अंग है। सामान्य जीवन बीमा के अन्तर्गत एक व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जाता है जबकि समूह बीमा की अवधारणा व्यक्तियों के जीवनों के सामूहिक बीमा पर आधारित है। एक व्यक्ति अपने निजी साधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को बीमित करा सकता है तथा अपने परिवार हेतु सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है किन्तु समाज के जो व्यक्ति साधनहीन है अथवा अल्प–साधनवान हैं वे अपने सीमित साधनों से व्यक्तिगत बीमा हेतु अतिरेक प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे अपने छोटे–छोटे अतिरेकों को मिलाकर बीमा प्रीमियम चुकाने हेतु आवश्यक धन जुटा लेते हैं और इस प्रकार सहकारिता व समानता के आधार पर सामूहिक बीमा पॉलिसी लेकर जीवन–बीमा के लाभ प्राप्त करने में सफल रहते हैं।

मुख्य शब्द : बीमा योजना, लघु बचत ।

प्रस्तावना

भारत में समूह बीमा का उद्भव समाजवाद की भावना से प्रेरित होकर हुआ। भारत एक प्रजातान्त्रिक तथा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है जो जन–कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जिनका लक्ष्य पूर्ण समाजवाद के लाभों को प्राप्त करना है। समाजवाद में निर्धन एवं मध्यम वर्ग की आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा हेतु तथा सामूहिक बचत एवं निवेष में इस वर्ग–विशेष का योगदान प्राप्त करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समूह बीमा का प्रारम्भ सामान्य जीवन बीमा के साथ ही किया गया है।

विगत 30 वर्षों में समूह बीमा ने आर्थिक प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त की है। इसका यद्यपि एक कारण सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना भी है किन्तु दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसकी विशाल सुरक्षा छतरी है साधारण व्यक्तिगत बीमा एक व्यक्ति तथा बीमा कम्पनी के बीच अनुबन्ध होता है। अतः उससे केवल एक व्यक्ति या उसके परिवार को सुरक्षा प्राप्त होती है जबकि समूह अपनी मास्टर पॉलिसी तथा आदर्श शर्तों द्वारा बीमित समूह के सभी सदस्यों व अनेक परिवारों को समान सुरक्षित छत उपलब्ध कराता है। वस्तुतः समूह बीमा लघु–साधन–युक्त–समाज के कल्याण का बीमा है।

समूह बीमा योजना एवं लघु बचत संग्रहण

'आर्थिक विकास' आर्थिक जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है, यह वर्तमान शताब्दी के आर्थिक चिन्तन का केन्द्र है। विकास के आधार पर विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है–विकसित और विकासशील। दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास से सम्बन्धित प्रश्न है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ विकसित देशों के लिए आर्थिक विकास को निरन्तर बनाये रखना आवश्यक है वहीं विकासशील देशों के लिए विकास की ओर तीव्र गतिमान होना अपरिहार्य है भारत एक विकासशील देश है। अतः उसकी सामान्य आर्थिक नीति में आर्थिक विकास का लक्ष्य प्रथम बिन्दु पर है।

आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में अनेक आर्थिक–अनार्थिक बाधाएँ आती हैं। बाजार की अपूर्णतायें, निर्धनता का विषैला चक्र, पूँजी निर्माण की निम्नदर,उद्यमशीलता एवं प्रबन्धकीय क्षमता का अभाव तथा आधारभूत संरचना का अभाव आदि अनेक समस्यायें आर्थिक विकास के मार्ग को अवरूद्ध करती है। वस्तुतः इन समस्त बाधाओं का केन्द्र बिन्दु धीमा पूँजी निर्माण है पूँजी निर्माण की निम्न दर रहने के अनेक कारण है– असीम निर्धनता, प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण उच्च उपभोग प्रवृत्ति, पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, निवेश हेतु प्रेरणाहीनता तथा अल्पबचत आदि। चूँकि पूँजी निर्माण की प्रक्रिया का

प्रारम्भ बचत से होता है इसलिए बचत वृद्धि पूँजी निर्माण और आर्थिक विकास की प्रथम शर्त है।

भारत जैसे अर्द्धविकसित देशों में बचत केवल आय–स्तूप के शिखर से प्राप्त होती है अर्थात् केवल उच्च आय वर्ग बचत करने में सक्षम होता है और बचत करता है, किन्तु ऐसी बचत का एक बड़ा भाग विलासिता तथा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर व्यय के रूप में अनुत्पादक दिशा में प्रवाहित हो जाता है तथा शेष भाग विदेशों एवं देशी अर्थव्यवस्था को निवेश हेतु प्राप्त होता है जो भारत जैसे अर्द्धविकसित देश की विशाल विकास वित्त आवश्यकता के सन्दर्भ में अपर्याप्त सिद्ध होता है। अतः भारत जैसे–देशों में आय स्तूप के शिखर से नीचे के भाग में बचत प्रेरणा विकसित करना और लघु–बचत को संग्रहित करना अत्यंत आवश्यक है।

बचत की अवधारणा

'बचत' का शाब्दिक अर्थ है, जो बच जाये। अतः आय का वह भाग जो उपभोग होने से बच जाये बचत होता है। 'बचत' एक समय में अर्जित आय और उपभोग के बीच का अन्तर है।' चूँकि बचत आय एवं उपभोग व्यय के मध्य अन्तर से प्रकट होती है इसलिए यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है, किन्तु व्यवहार में बचत से अभिप्राय धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है, किन्तु व्यवहार में बचत से अभिप्राय धनात्मक बचत से ही लगाया जाता है, यहीं पूँजी निर्माण हेतु गतिशील होती है।

पूँजी निर्माण की दृष्टि से प्रत्याशित और वास्तविक बचत का विचार भी महत्वपूर्ण। प्रत्याशित बचत वह है जो किसी समयावधि के प्रारम्भ में प्राप्त होने हेतु आशान्वित होती है जबकि वास्तविक बचत वह है जो उस दी हुयी समयावधि के अन्त में प्राप्त होती है। वास्तविक बचत ही पूँजी निर्माण हेतु क्रियाशील होती है अतः इसका अधिकाधिक होना आवश्यक है किन्तु प्रत्याशित बचत भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वह बचत हेतु प्रेरणा तथा विराजमान परिस्थितियों को सूचित करती है तथा व्यवहार में उसे वास्तविक बचत के अति निकट होने से बचत योजना की सफलता का आभास होता है।

भारत में समूह बीमा योजना का बचत की आदत पर प्रभाव

जनपद शाहजहाँपुर में समूह बीमा योजना लोगों में बचत की आदत को विकसित करने में कहाँ तक सफल रही है यह जानने के लिए योजना के अन्तर्गत बीमितों पर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के मध्य प्रतिदर्श इकाईयों (145 परम्परागत समूह इकाई तथा 355 गैर परम्परागत समूह इकाई) से तीन प्रश्न पूछे गये प्रश्नों तथा प्राप्त उत्तरों को तालिका–1 के अन्तर्गत दर्शाया गया है–

तालिका संख्या– 01

समूह बीमा योजना की बचत की आदत को विकसित करने में भूमिका

प्रश्न/कथन	परम्परागत समूह		गैर परम्परागत समूह		कुल	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	**हाँ**	**नहीं**
1. क्या आप बचत करने की दृष्टि से समूह बीमा की किसी दूसरी योजना की सदस्यता भी लेना चाहते हैं?	74 (51)	71 (49)	63 (68)	29 (32)	137 (58)	100 (42)
2. क्या वर्तमान समूह बीमा योजना की अवधि पूरी होने के बाद आप बचत के लिए इसी योजना को दोबारा अथवा किसी नयी समूह बीमा योजना को प्रारम्भ करेंगे?	83 (57)	62 (43)	61 (66)	31 (34)	144 (61)	93 (39)
3. क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि समूह बीमा योजना की सदस्यता ने आपके अंदर नियमित बचत करने की आदत डाल दी है?	112 (77)	33 (23)	60 (65)	32 (35)	172 (73)	65 (27)
योग	269 (62)	166 (38)	184 (67)	92 (33)	453 (64)	258 (36)

नोटः– कोष्ठक में दर्शायी गयी संख्यायें सम्बन्धित संख्या का प्रतिशत हैं।

तलिका सं. 01 से स्पष्ट है कि–

1. परम्परागत समूह के 51 % लोग किसी दूसरी समूह बीमा योजना की सदस्यता लेने को तैयार है जबकि गैर परम्परागत समूह में ऐसे 68% लोग हैं। अतः गैर परम्परागत समूह, समूह बीमा योजना के सम्बन्ध में अधिक उत्साही है। कुल मिलाकर 58% व्यक्ति समूह बीमा की विद्यमान सदस्यता के अतिरिक्त किसी दूसरी समूह बीमा योजना की सदस्यता भी लेने को इच्छुक है।
2. परम्परागत समूह के 57% लोग तथा गैर परम्परागत समूह के 66% लोग वर्तमान समूह बीमा योजना की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् पुनः समूह बीमा कराने का विचार रखते है। कुल मिलाकर 61% व्यक्तियों ने यह माना है कि वे विद्यमान योजना पूर्ण होने पर उसका नवीनीकरण करायेंगे अथवा किसी नयी समूह बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
3. परम्परागत समूह के 77% लोगों ने स्वीकार किया है कि समूह बीमा योजना ने उनके अन्दर नियमित बचत करने का आदत डाली है जबकि गैर परम्परागत समूह के 65 प्रतिशत लोगों ने इस पक्ष में अपने विचार प्रकट किये हैं। कुल मिलाकर 73

प्रतिशत लोगों का अनुभव है कि समूह बीमा योजना की सदस्यता ने उनमें नियमित बचत करने की आदत विकसित की है।

4. यदि बचत की आदत के सम्बन्ध में पूछे गये तीन प्रश्नों पर सामूहिक दृष्टिपात किया जाये तो परम्परागत समूह के 62% लोग तथा गैर परम्परागत समूह के 67 प्रतिशत लोगों का दृष्टिकोण है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना ने उनमें बचत की आदत विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

परिकल्पना परीक्षण–

भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा द्वारा बचत की आदत के विकास के सन्दर्भ में निम्नलिखित परिकल्पना सं. 1 स्थापित की गई है–

मुख्य परीक्षण

''भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना कमजोर वर्ग में बचत करने की आदत को विकसित करने में सफल रही है।''

सांख्यिकी परीक्षण हेतु उपयुक्त परिकल्पना को निम्नवत् शून्य परिकल्पना में परिवर्तित किया गया हैः–

''कमजोर वर्ग में बचत करने की आदत को विकसित करने में भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना की सफलता के प्रति सहमत तथा असहमत व्यक्तियों की संख्या के मध्य कोई अन्तर नहीं है।''

परिकल्पना परीक्षण हेतु तालिका सं. 1 की सहायता से सं. 02 तैयार की गई है जो प्रस्तुत हैः–

तालिका संख्या–02

बचत की आदत के विकास के संदर्भ में मुख्य परिकल्पना (1) कर परीक्षण

आवृत्ति	समूह बीमा योजना बचत की आदत विकसित करने में सफल रही है		वेग
	सहमत	असहमत	
अवलोकित	453-00	258.00	711
अप्रत्याशित	355-50	355.50	711
अन्तर	+97-50	–97.50	शून्य
अन्तर वर्ग	9506-25	9506.25	
काई वर्ग	26-74	26.74	53.48

स्वतन्त्रांश	: 1
सार्थकता स्तर	: 5%
काई वर्ग का सारणी मूल्य	: 3.8%
काई वर्ग का परिगणित मूल्य	: 53.48
निर्वचन	: सार्थक अन्तर,कल्पना अस्वीकृत

तालिका सं. 01 से स्पष्ट है कि बचत की आदत को विकसित करने के संदर्भ में तालिका सं.02 के अन्तर्गत उल्लिखित तीनों प्रश्नों पर कुल 453 व्यक्तियों ने 'हाँ' में उत्तर दिया गया तथा 258 ने 'नहीं' में। इन्हें तालिका संख्या 4 में क्रमशः अवलोकित सहमति और अवलोकित असहमति के रूप में दर्शाया गया। शून्य अन्तर की धारणा के आधार पर कुल 711 उत्तरों में से 50 प्रतिशत अर्थात् 355.5 सहमति और इतने ही असहमति की प्रत्याशित आवृत्ति माने गये। अवलोकित और अप्रत्याक्षित आवृत्ति के मध्य सहमति के संदर्भ में +97.5 अधिक तथा असहमति के संदर्भ में –97.5 का अन्तर पाया गया अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना कमजोर वर्ग में बचत की आदत को विकसित करने में सफल रही है इस पक्ष में व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, प्रत्याशित संख्या में 97.5 अधिक पायी गयी। काई–वर्ग का परिगणित मूल्य 5348 प्राप्त हुआ जो स्वतन्त्रांश 1 के लिए 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित काई वर्ग सारणी मूल्य 3.84 से कहीं अधिक है। अतः दोनों पक्षों के मध्य सार्थक अन्तर है अर्थात् मुख्य परिकल्पना संख्या–1 अस्वीकृत हुई है। अधिकांश बीमित व्यक्तियों का विचार है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना कमजोर वर्ग में बचत की आदत विकसित करने में सफल रही है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के उद्देश्य

निगम की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई–

1. जीवन बीमा निगम का प्रमुख उद्देश्य जीवन बीमा का अधिकतम प्रसार करना है। यह प्रसार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों में इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि हमें देश में बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचाना है और उनकी मृत्यु होने पर उनके मूल्य पर पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
2. व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से बीमित व्यक्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना।
3. अपने व्यवसाय को मितव्ययिता से चलाना तथा इस बात को ध्यान में रखना की समस्त धन बीमादारों का है।
4. बदलते सामाजिक व आर्थिक वातावरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समाज की जीवन बीमा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना ।

बीमें के साथ जुड़ी बचत को काफी आकर्षक बनाकर जनता की बचतों को आर्थिक गतिशील बनाना।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास के लिए तीव्र पूँजी निर्माण अनिवार्य शर्त है। तीव्र पूँजी निर्माण के लिए बचत स्तर को ऊपर उठाना आवश्यक है बचत में वृद्धि राष्ट्रीय आय में बृद्धि किये बिना नही हो सकती और राष्ट्रीय आय में बृद्धि पूँजी निर्माण में वृद्धि किये बिना सम्भव नहीं होती। अतः यह एक ऐसा चक्र है जिसमें निर्धन देश लम्बे समय तक फंसा रहता है जब कोई अतिरिक्त प्रयास न करे। अतिरिक्त प्रयास के रूप में विदेशी पूँजी और घरेलू

बचत–निर्माण प्रमुख उपाय है। विदेशी ऋणभार के अनेंक आर्थिक–राजनैतिक प्रभाव पड़ते है। अतः विकासशील देश घरेलू बचत निर्माण को प्रमुखता देते है। भारत में जनसंख्या को अधिकांश भाग सामान्य व निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आता है। अतः जनसंख्या के इस वर्ग में मध्यम और लघु आकार की बचतों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संग्रहित करने के लिए देश में विभिन्न बैकिंग व वित्तीय संस्थाओं का जाल बिछाया गया है। इन सभी संस्थाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम एक विशिष्ट प्रकार की वित्तीय संस्था है। यह अन्य सभी संस्थाओ की भांति बचत को प्रोत्साहन देती है, बचत को एकत्रित करती है तथा उसे राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप विनियोजित करती है किन्तु इस सब के साथ ही वह बचतकर्ता को भावी जोखिम के प्रति आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जो अन्य कोई वित्तीय संस्था नहीं करती।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीवास्तव बाल चन्द्रः बीमें का प्रारम्भिक अध्ययन
2. सामाजिक आर्थिक पार्श्विवका एवं वार्षिक सांख्यिकीय पुस्तिका : भारतीय जीवन बीमा निगम,
3. यंग, टी0 ई0 : बीमा,
4. मैंकिंग ए0 के0 : बीमें के लाभ,
5. Batt, V.V.: Employment and Capital Formation in Underdeveloped Economics.
6. Das & Gupta : Life Insurance Act, 1956
7. Hugh Cockerell : Insurance,
8. LIC : Fact Book,1993